संख्या-19/2026/ 151-12-3-2026-1499596

प्रेषक

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: 13-03-2026**

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना के रेनफेड एरिया डेवलेपमेण्ट कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू.सं./लेखा/आर0ए0डी0-81/वित्तीय स्वीकृति/2025-2026/251 डी, दिनांक 20.02.2025 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा एवं जल संरक्षण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम में प्राविधानित धनराशि रू0 66.60 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 8.167 लाख (रू0 आठ लाख सोलह हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रू0 लाख में

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	मानक मद	वर्ष-2025-26 हेतु आर0ए0डी0 का प्राविधान (लाख रू0 में)	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृति (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- 2402-मृदा एवं जल संरक्षण 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	11-लेखन सामग्री	1.00	0.27	0.067
	27-सब्सिडी	65.00	3.90	8.10
	44-प्रशिक्षण	0.60	0.00	0.00
	योग	**66.60**	**4.17**	**8.167**

(रू0 आठ लाख सोलह हजार सात सौ मात्र)

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता/ बजट प्राविधान की सीमा/ निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत व्यय को सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

6. वित्तीय स्वीकृति आवंटित् करने/व्यय करने के पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यता सुनिश्चित कर ली जायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की सहमति के अनुरूप सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान की पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासन के दिशा-निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन कर लिया गया है।

11. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 में तथा शासनादेश सं0-24/2020/279/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 19.06.20 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तथा एस0एल0एस0सी0 द्वारा निर्दिष्ट भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान एवं भविष्य में अन्य योजनाओं से पुनरावृत्ति न हो।

11- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा साथ ही इस सम्बन्ध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-1-304-X-2025-26-दिनांक:9-3-2026 द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव

सं0-19/2026/151(1)/12-3-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- संयुक्त कृषि निदेशक (जलागम), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।

13- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

14- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

15- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।